न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 41/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 11.4.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 चन्द्रप्रकाश भूतिया आत्मज केशव दत्त जाति ब्राहमण नि0 केशवराय पाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

1 सन्तोष शर्मा पुत्री कल्याण पत्नी गिरिराज जाति ब्राहमण निवासी चामुण्डा कॉलोनी केशवराय पाटन
2 शीला शर्मा पुत्री कल्याण पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 3 चामुण्डा कॉलोनी केशवरायपाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी।
3 सावित्री पुत्री रंगलाल पत्नी हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कहार गली सदर बाजार बूंदी।
4 शकुंतला बाई पुत्री रंगलाल पत्नी गोरधन जाति ब्राहमण निवासी केथूनीपोल थाने के पास कोटा।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार केशवरायपाटन जिला बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री तेजमल जेन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के0 डी0 दाधीच अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

::निर्णय::

दिनांक 11.12.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 22/अपील/14 बउनवान चन्द्रप्रकाश बनाम सन्तोष शर्मा आदि अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 26.2.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी चन्द्रप्रकाश ने तहसीलदार के0 पाटन द्वारा भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है0 ग्राम के0 पाटन वसीयत गृहिता संन्तोषबाई पुत्री कल्याण लाल पत्नि गिरिराज प्रसाद ब्राहमण के0 पाटन के नाम दर्ज करने का पारित आदेश दिनांक 21.7.14 से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि विवादित भूमि अपीलांट के दादा रंगलाल के खाते की है। रंगलाल द्वारा इस भूमि की वसीयत दिनांक 20.2.93 को अपनी भोजाई कस्तूरी बाई बेवा कल्याण के पक्ष मे की थी तथा वसीयत मे यह अंकित किया था कि विवादित भूमि का मालिक मै स्वयं रहूंगा मेरे बाद वसीयत गृहिता रहेगी तथा कस्तूरीबाई के बाद उसका लडका केशवदत्त आ0 कल्याण होगा। रंगलाल का देहान्त दिनांक 24.2.93 को हो गया तथा भूमि राजस्व रेकार्ड मे कस्तूरीबाई के नाम दर्ज हुई। कस्तूरीबाई का देहान्त दिनांक 30.3.14 को हो गया। अपीलांट के पिता केशवदत्त का देहान्त दिनांक 28.2.2002 को हो गया। रंगलाल द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार कस्तूरी की मृत्यु के बाद केशवदत्त व उसके वारिसान (अपीलांट) विवादित भूमि के मालिक होते है किन्तु कस्तूरीबाई की पुत्री रेस्पो0 क्रम–1 संतोष ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि कस्तूरीबाई ने भूमि की वसीयत उसके नाम कर दी है। इस प्रार्थनापत्र अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि खातेदार रंगलाल ने विवादित भूमि कस्तूरीबाई को जीवन निर्वाह करने हेतु वसीयत की थी। कस्तूरीबाई व केशवदत्त दोनो की मृत्यु होने से केशवदत्त का पुत्र अपीलांट चन्द्रप्रकाश उसका भाई तिलकेश बहिन चन्द्रेश, मधु व ओम बाई भूमि के मालिक बन गये है। विवादित भूमि कस्तूरीबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है अतः कस्तूरीबाई को इस भूमि की वसीयत करने का अधिकार नही बनता है। रंगलाल की

वसीयत के गवाह रामकल्याण एवं कन्हैयालाल ने इस आशय के बयान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये है अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 21.7.2014 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील **contested order** दिनांक 21.7.2014 राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण जेरअपील निर्णय दिनांक 26.2.2018 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.2.2018 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि जब अपील सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था तो अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने के लिये वापिस लौटानी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निर्णय कर अपने अधिकार क्षैत्र का उल्लधंन किया है जो विधि विरूद्ध है। अपील का निर्णय गुणावगुण पर न कर केवल तकनीकी बिन्दू पर किया जो स्थिर रहने योग्य नही है। वैसे भी वसीयत के मामले मे वसीयत की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। वसीयत की जांच सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। रिकार्ड पर जो साक्ष्य उपलब्ध है वह वसीयत प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नही है और नैसर्गिक उत्तराधिकार के आधार पर अपीलांट के पिता ही मृतक रंगलाल के वारिस होते है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलौच्य निर्णय निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से श्री के0 डी0 दाधीच ने उपस्थित होकर प्रकरण मे पक्ष प्रस्तुत किया। रेस्पो0 क्रम 2 ता 4 के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई। तदउपरांत अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 लगायत 3 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार के0 पाटन द्वारा भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है0 ग्राम के0 पाटन वसीयत गृहिता संन्तोषबाई पुत्री कल्याण लाल पत्नि गिरिराज प्रसाद ब्राहमण के0 पाटन के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 21.7.14 पारित किया गया है जिसकी अपीलांट द्वारा अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय मे की गईं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश **contested order** होना मानते हुये क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर आलौच्य निर्णय दिनांक 26.2.2018 से खारिज करने मे त्रुटि की है क्योंकि जब सुनने का अधिकार प्रथम अपीलीय न्यायालय को नही था तो अपील को खारिज करने का अधिकार भी नही उन्हे अपील को सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जाना था। बहस मे आगे बताया कि तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार को वसीयत की वैधानिकता की जांच का अधिकार नही था। वसीयत की जांच सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। दावा कब पेश किया गया यह स्पष्ट नही है पहले पेन्डिग नही था यदि रेस्पो0 प्रभावित है तो नामा0 को विवादित करार दिये जाने का नोट अंकित किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को आलौच्य निर्णय से खारिज कर कोई त्रुटि नही की है। 3 साल तक प्रकरण पेन्डिग रहा है अपीलांट ने सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाने का प्रार्थना पत्र क्यों नही पेश किया। कोर्ट का यह कार्य नही है। मियाद क्षम्य योग्य नही है क्योंकि कोई युक्तियुक्त कारण नही है। म्यूटेशन पर नोट अंकित करने का विद्वान अभिभाषक अपीलांट का तर्क विधिसम्मत नही है। वसीयत रजिस्टर्ड है सुनवाई करके परीक्षण न्यायालय ने फैसला किया है रेस्पो0 ने वसीयत केन्सिलेशन की कार्यवाही क्यों नही की। दावे मे पक्षकारान के उत्तराधिकार संबधी अधिकार तथ्य होगे। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार व प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश सही है अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा प्रकरण मे दिनांक 27.11.2019 प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया जिसका विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दस्तावेजात प्रमाणित प्रति नही होने से रिकार्ड पर लिये जाने मे आपत्ति प्रकट की। दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता है कि दस्तावेज सत्यापित प्रति नही

होकर फोटो प्रति है जिसको रिकार्ड पर लिया जाना विधिसम्मत नही है। अतः रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी खारिज किया जाता है। तहसीलदार के0 पाटन द्वारा भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है0 ग्राम के0 पाटन का वसीयत गृहिता संन्तोषबाई पुत्री कल्याण लाल पत्नि गिरिराज प्रसाद ब्राहमण के0 पाटन का नाम दर्ज करने का दिनांक 21.7.14 को आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील पेश कर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे चुनोती दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार के0 पाटन द्वारा पारित निर्णय उभय पक्षकारान की सुनवाई कर पारित किये जाने से **contested order** की श्रेणी मे आने से धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित किया जाना प्रमाणित होने पर प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण आलौच्य निर्णय दिनांक 26.2.2018 से खारिज की गई है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही था तो खारिज करने का अधिकार भी नही था ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील खारिज नही कर लौटाई जाने का आदेश पारित करना था। दुसरा तर्क है कि वसीयत की वैधानिकता की जांच का अधिकार तहसीलदार को नही है जांच सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। अपीलांट के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 का हस्तगत अपील प्रकरण मे तर्क रहा है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रकरण 3 साल पेन्डिग रहा है अपीलांट ने अपील लौटाने का प्रार्थना पत्र क्यों नही पेश किया। कोर्ट का यह कार्य नही है। तहसीलदार द्वारा आदेश 21.7.2014 उभय पक्षकारान को सुनकर पारित किया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रथम अपीलीय न्यायालय को नही होने से जेरअपील निर्णय न्यायोचित है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 21.7.2014 उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर पारित किया गया है जो **contested order** की श्रेणी मे आने से धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित किया जाना प्रमाणित होता है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) के तहत **contested order** की प्रथम अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त/अति0 संभागीय आयुक्त को प्रदत्त है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार के0 पाटन द्वारा उभयपक्षकारान की सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना प्रमाणित होने से क्षेत्राधिकार के अभाव मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आलौच्य निर्णय दिनांक 26.2.2018 से खारिज किया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलौच्य निर्णय 26.2.2018 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा